न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या: 34/2022

अपीलार्थी
श्रीमती रम्बाबाई पत्नी भलाराम जी, जाति– भील, निवासी–सरदारपुरा, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण
1. श्रीमती पंकु पत्नी देवा जी, जाति–भील, निवासी– बडा भीलों का वाडा, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री गोविन्द राणा, प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 2 की ओर से

दिनांक 04 मार्च, 2025

–: निर्णय :–

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव क्रमांकः राजस्व/प्र.गा.सं./2021/11 दिनांक 01.11.2021 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से पेश किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द राणा उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी ग्राम सरदारपुरा, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही में निवास करती है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्य–1 (एक) ने दिनांक 21.06.2012 को कानाराम पुत्र रूपाजी जाति–भील, निवासी–बागरा, हाल– आकोली, तहसील व जिला– जालोर के पॉवर ऑफ एटार्नी होल्डर भलाराम पुत्र धनारामजी, जाति–भील, निवासी–सरदारपुरा, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही से ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का मोरली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पालडी एम., तहसील शिवगंज के खसरा संख्या 50/1 रकबा 2–02 बीघा किस्म बंजर, खसरा संख्या 110 रकबा 1–18 बीघा किस्म बंजर व खसरा संख्या 110/1 रकबा 15–02 बीघा किस्म बंजर कुल किता 3 कुल रकबा 19–02 बीघा कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा किमतन रूपये 1,20,000/– (अक्षरे रुपये एक लाख बीस हजार) में खरीद की थी। उक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्य–1 (एक) के संयुक्त मालिकी व खातेदारी की है एवं दोनो उक्त कृषि भूमि पर खेतीबाडी कर अपनी जीविकोपार्जन कर रहे है। यह कि वर्ष 2021 में प्रशासन गांवो के संग अभियान राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। उस अभियान के दौरान पटवार हल्का मोरली के तत्कालीन पटवारी अपीलार्थी के खेत पर आये व अपीलार्थी से कहा कि तुम्हारे जमीन

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

की पैमाईश करनी है, इसलिए मैं जिन जिन कागजों पर कहता हूँ वहाँ पर अंगूठा लगाओं। अपीलार्थी अंगुठा छाप अनपढ महिला पटवारी की बात पर विश्वास कर पटवारी द्वारा दिये गये कागजों पर उसके कहे अनुसार अंगुठा लगाया उसके बाद पटवारी वहाँ से चले गये तथा अपीलार्थी ने पटवारी से निवेदन किया कि मेरी भूमि की पैमाईश कब करोगे तब उसने कहा कि मैं कुछ दिन बाद अपने आप आ जाउंगा, लेकिन कई बार मौखिक निवेदन करने के पश्चात् भी वह आज दिन तक पैमाईश करने नहीं आये। यह कि आज से करीबन 15–20 दिन पूर्व उक्त कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) मकान निर्माण करवाने लगी तो अपीलार्थी ने उसको कहा कि अभी जमीन का बंटवाड तो हुआ नहीं है और तुम बिना बंटवाड ही क्यो निर्माण कर रहे हो, तो उसने बताया कि बंटवाड हो चुका है और जिस दिन मोरली के तत्कालीन पटवारी ने भूमि पैमाईश का बताकर जो कागजों पर अंगूठा लिया था वो बंटवाड के ही थे। यह सुनकर अपीलार्थी तहसील कार्यालय गई और वहां बंटवाड स्वीकृति आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। जो अपीलार्थी को दिनांक 14.09.2022 को प्राप्त हुई तब अपीलार्थी को जानकारी हुई कि उस समय मोरली गाँव के तत्कालीन पटवारी ने अपीलार्थी से झुठ बोलकर जिन कागजों पर भूमि पैमाईश का बताकर अंगूठा करवाया था वे कागजात भूमि पैमाईश के नहीं होकर बंटवाड के थे, जबकि उक्त वर्णित कृषि भूमि का अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) के बीच में आज दिन तक विभाजन नहीं हुआ है तथा न ही अपीलार्थी ने विभाजन हेतु अपनी सहमति दी है। प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) पंकु व तत्कालीन पटवारी ने षडयंत्र रचकर अपीलार्थी के साथ धोखाधडी करने के बेमानीपूर्वक आशय से अपीलार्थी के अनपढ होने का अनुचित फायदा उठाकर उसकी जानकारी के बिना भूमि पैमाईश का बताकर उक्त कृषि भूमि के बंटवाड के कागजों पर अंगूठा करवाया, जबकि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) के बीच कभी बंटवाड हुआ ही नहीं तथा उक्त बंटवाड के दस्तावेज तत्कालीन पटवारी व प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) ने धोखाधडी से मेलमिलाप कर प्रशासन संग गावो के अभियान–2021 में तहसीलदार शिवगंज के समक्ष प्रस्तुत कर बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत करवाये है, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध व अपीलार्थी की जानकारी के बिना होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) के बीच कभी भी बंटवाड नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं विभाजन की सत्यता की जांच किये बिना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 22 का उल्लंघन करते हुए बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) व तत्कालीन पटवारी हल्का मोरली व भू अभिलेख निरीक्षक ने मेलमिलाप कर अपीलार्थी को भूमि पैमाईश का बताकर लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्यों व दायित्वों की धज्जियाँ उडाते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) को अनुचित फायदा पहुंचाते हुए कपट पूर्ण कृत्य कर उक्त बंटवाड प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन गांव के संग अभियान में तहसीलदार, शिवगंज से बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत करवाये है। उक्त बंटवाड प्रस्ताव पर प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) व पटवारी हल्का तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भूमि का पैमाईश करना बता कर अपीलार्थी को मुगालते में रखकर उक्त बंटवाड प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाये है, जिससे उक्त बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत करने के संबंध में अपीलार्थी को पूर्व में जानकारी नही हो सकी एवं अपीलार्थी को उक्त बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत करने की जानकारी दिनांक 14.09.2022 को होने पर अपीलार्थी ने जानकारी तिथि से अन्दर मियाद यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जावे एवं अपीलार्थी की अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण स्वीकार की जाकर सहायक

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव क्रमांक:राजस्व/प्र.गा.सं./2021/11 दिनांक 01.11.2021 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी रम्बाबाई व प्रत्यर्थी पंकुदेवी रिश्ते में ननद–भोजाई है। अपीलार्थी रम्बाबाई व प्रत्यर्थी पंकुदेवी द्वारा दिनांक 21.6.2012 को कानाराम पुत्र रुपाजी, जाति– भील, निवासी– बागरा, हाल– आकोली, तहसील व जिला– जालोर के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर भलाराम पुत्र धनाराम जी, जाति– भील, निवासी– सरदारपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही से ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का मोरली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पालडी एम., तहसील– शिवगंज के खसरा संख्या 50/1 रकबा 2–02 बीघा किस्म बंजर, खसरा संख्या 110 रकबा 1–18 बीघा किस्म बंजर व खसरा संख्या 110/1 रकबा 15–02 बीघा किस्म बंजर कुल किता 3 कुल रकबा 19–02 बीघा कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा किमतन खरीद की थी। उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी रम्बाबाई व प्रत्यर्थी पंकुदेवी के संयुक्त मालिकी व खातेदारी की भूमि थी, जो बाद में आपसी सहमति बंटवाड के द्वारा अपीलार्थी रम्बाबाई व प्रत्यर्थी पंकुदेवी अपने अपने हिस्से आई भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह कि अपीलार्थी रम्बाबाई व प्रत्यर्थी पंकुदेवी ने आपसी सहमति से प्रशासन गांव के संग अभियान में बंटवाड करवाया था। पटवारी हल्का, मोरली द्वारा उक्त भूमि के बंटवाड से पूर्व मौके पर आकर अपीलार्थी रम्बाबाई व प्रत्यर्थी पंकुदेवी की उपस्थिति में भूमि का नापकर बंटवाडा कर बंटवाड प्रस्ताव तैयार किया था एवं अपीलार्थी रम्बाबाई व प्रत्यर्थी पंकुदेवी ने उक्त बंटवाड से सहमत होकर अपने अपने अंगूठा निशान किये थे। पटवारी हल्का, मोरली द्वारा अपीलार्थी रम्बाबाई व प्रत्यर्थी पंकुदेवी की सहमति के बाद ही बंटवाड की कार्यवाही व पैमाईश की थी। उक्त बंटवाड अपीलार्थी रम्बाबाई व प्रत्यर्थी पंकुदेवी की सहमति से हाने के कारण अपीलार्थी को बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत होने का पूर्व से ही पूरा ज्ञान है, लेकिन अपीलार्थी व अपीलार्थी के पति ने प्रत्यर्थी पंकुदेवी के खेत पर बने मकान को हडपने की नियत से कब्जा करने की कोशिश करने पर प्रत्यर्थी पंकुदेवी ने रोका तो अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी पंकुदेवी को परेशान करने व प्रत्यर्थी के खेत पर बने मकान को हडपने की नियत से झूठे व मनगन्ढत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है, जो जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व अपीलार्थी की अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज किये जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार अपीलार्थी व प्रत्यर्थी पंकुदेवी द्वारा आपसी सहमति से उक्त कृषि भूमि का आपस में बंटवाड कर आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रशासन गांव के संग अभियान में तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत किये गये, जो सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 द्वारा दिनांक 01.11.2021 को स्वीकृत किये गये है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं इस न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 द्वारा ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का मोरली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पालडी एम, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के खसरा संख्या 50/1 रकबा 2–02 बीघा किस्म बंजर, खसरा संख्या 110 रकबा 01–18 बीघा किस्म बंजर व खसरा संख्या 110/1 रकबा 15–02 बीघा किस्म बंजर कुल किता 3 रकबा 19–02 बीघा भूमि के संयुक्त खातेदार रम्बाबाई पत्नि भलाराम जी,

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

Scanned with OKEN Scanner

जाति– भील, निवासी– सरदारपुरा (अपीलार्थी) एवं पंकुदेवी पत्नी देवाजी, जाति– भील,
निवासी– सिरोही (प्रत्यर्थी संख्या– 1) की आपसी सहमति से स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव
क्रमांक / राजस्व / प्र.गां.स. / 2021 / 11 दिनांक 01.11.2021 को निरस्त कराने हेतु
अपीलार्थी रम्बाबाई पत्नि भलाराम जी, जाति– भील, निवासी– सिरोही द्वारा प्रत्यर्थीगण
के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अपील, इस
न्यायालय में दिनांक 27.9.2022 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत करने से
अपीलार्थी रम्बाबाई द्वारा उक्त विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय
परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र भी अपील
के साथ साथ प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी रम्बाबाई द्वारा धारा 5 भारतीय परिसीमा
अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा यह
अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति प्रतीत नही होती है।
अतः अपीलार्थी रम्बाबाई द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना
पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन
कर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया गया कि रम्बाबाई
पत्नी भलाराम जी, जाति– भील, निवासी– सरदारपुरा (अपीलार्थी) व पंकुबाई पत्नी
देवाजी, जाति– भील, निवासी– सिरोही (प्रत्यर्थी संख्या–1) ने दिनांक 21.06.2012 को
कानाराम पुत्र रूपाजी जाति–भील, निवासी– बागरा, हाल– आकोली, तहसील व
जिला– जालोर के पॉवर ऑफ एटार्नी होल्डर भलाराम पुत्र धनारामजी, जाति–भील,
निवासी–सरदारपुरा, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही से ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का
मोरली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पालडी एम., तहसील शिवगंज के खसरा संख्या
50 / 1 रकबा 2–02 बीघा किस्म बंजर, खसरा संख्या 110 रकबा 1–18 बीघा व खसरा
संख्या 110 / 1 रकबा 15–02 बीघा किस्म बंजर कुल किता 3 रकबा 19–02 बीघा भूमि
पंजीकृत विक्रय विलेख से कीमतन क्रय की गई थी। उक्त विक्रय विलेख उप पंजीयक
कार्यालय, शिवगंज में दिनांक 22.6.2012 को पंजीकृत हुआ है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रम्बाबाई
पत्नि भलाराम जी, जाति– भील, निवासी– सरदारपुरा (अपीलार्थी) एवं प्रत्यर्थी पंकुदेवी
पत्नी देवाजी, जाति– भील, निवासी– सिरोही द्वारा उनकी उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि
भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड कर बंटवाड प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रशासन गांव
के संग अभियान–2021 में सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज) को प्रस्तुत
किये गये, जो सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग
अभियान–2021 के आदेश क्रमांकःराजस्व / प्र.गां.स. / 2021 / 11 दिनांक 21.11.2021 के
द्वारा स्वीकृत किये जाकर पटवारी हल्का को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु करने हेतु
निर्देशित किया गया है। उक्त बंटवाड प्रस्ताव व नक्शें पर अपीलार्थी रम्बाबाई व
प्रत्यर्थी पंकुदेवी के अंगूष्ठ निशानी किये हुये है एवं पहचानकर्ता के तथा पटवारी हल्का,
मोरली व भू अभिलेख निरीक्षक के भी हस्ताक्षर किये हुये है।

अपीलार्थी ने अपील में यह कथन किया है कि ''प्रत्यर्थी पंकुदेवी व पटवारी
हल्का ने अपीलार्थी के अनपढ़ होने का अनुचित फायदा उठाकर धोखे एवं मुगालते में
रखकर भूमि के पैमाईश का बताकर बंटवाड के कागजों पर हस्ताक्षर करवाये है।'' इस
संबंध में हमारा विनम्र मत यह है कि यदि अपीलार्थी रम्बाबाई के साथ प्रत्यर्थी पंकुदेवी
एवं पटवारी द्वारा कोई धोखाधडी व छल कपट किया गया है तो उनके विरुद्ध
अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय
द्वारा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नही की जा सकती है।

चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि
अपीलार्थी रम्बाबाई व प्रत्यर्थी पंकुदेवी के मध्य उक्त कृषि भूमि के आपसी सहमति

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

बंटवाड प्रस्ताव के द्वारा अपीलार्थी रग्बाबाई को खसरा संख्या 50/2 रकबा 1–01 बीघा किस्म बंजर व खसरा संख्या 110/2 रकबा 8–10 बीघा किस्म बंजर कुल किता 2 रकबा 9–11 बीघा भूमि एवं प्रत्यर्थी पंकुदेवी को खसरा संख्या 50/1 रकबा 1–01 बीघा, खसरा संख्या 110 रकबा 1–18 बीघा व खसरा संख्या 110/1 रकबा 6–12 बीघा कुल किता 3 रकबा 9–11 बीघा भूमि उक्त बंटवाड प्रस्ताव अनुसार विभाजन में प्राप्त हुई है। तहसीलदार, शिवगंज द्वारा कृषि जोतों व लगान का सह–खातेदारों के मध्य नियमानुसार विभाजन किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04 मार्च, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Scanned with OKEN Scanner